विद्यालय : NIMAWAT INTERNATIONAL SCHOOL (P63012) आवेदन क्रमांक : 29150

मान्यता कोड : RJJAI277 d

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: 942 दिनांक: 25/3/19

सचिव

प्रबंध समिति

NIMAWAT INTERNATIONAL SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्त आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 29150 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, NIMAWAT INTERNATIONAL SCHOOL पता VILLAGE KHATWARA NEAR MAHAPURA NEVTA ROAD, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय MAHAPURA ब्लॉक SANGANER को शैक्षिक सत्र 2019-20 से निम्नानुसार मान्यता प्रदान करता हूँ-

मान्यता का प्रकार	अवैतन मान्यता कक्षा (1-8)
शिक्षण का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 1 एवं 3 में प्रवेश की अनुमति	Yes

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार इस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. धारा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. संलग्नदीविद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संगृहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
6. विद्यालय आयु के सबूत का अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(ii) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(iii) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

Manager
Orchids The International School
Khatwara Mahapura, Jaipur

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)
जयपुर

PRINCIPAL
ORCHIDS THE INTERNATIONAL SCHOOL
NEVTA, JAIPUR

Nimawat Education Society
Authorised Signatory

NIMAWAT INTERNATIONAL SCHOOL (P63012)

आवेदन क्रमांक : 29150

मान्यता कोड : RJJAI27793

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी JAIPUR , राजस्थान

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंध के अनुसार विशेषज्ञता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और

(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी;

10. विद्यालय भवन, या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या धर्मस्व अधीन किसी निधि या ट्रस्ट के अधिकार किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या फर्म या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की समीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।

14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय अधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी (शु.)
प्रा. शिक्षा, जयपुर

Manager
Orchids The International School
Khatwara Mahapura, Jaipur

PRINCIPAL
ORCHIDS THE INTERNATIONAL SCHOOL
NEVTA, JAIPUR

Nimawat Education Society
Authorised Signatory